सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-393/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 26 सितम्बर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- रानी की सराय

बेलईसा मण्डी से व्यापारी का चोरी गये (3 लाख 47 हजार) रुपये बरामदगी के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-24.06.2020 को श्री इन्द्रजीत मद्धेशिया पुत्र केदार नाथ नगर पंचायत चिरैयाकोट वार्ड नं0-11 जिला मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि चिरैयाकोट प्राइवेट मण्डी में इन्द्रजीत मद्धेशिया उपरोक्त तीन भाईयों के साथ मिलकर सब्जी का कारोबार करते है व सब्जी की थोक खरीदारी हेतु बेलईसा मण्डी आजमगढ़ से करते है। आज सुबह इन्द्रजीत मद्धेशिया चार पहिया वाहन के साथ अपने ड्राईवर ओमप्रकाश जो 2 साल से उनके साथ कार्य करता है। उनके साथ 03.30 सुबह को 5 लाख रूपये लेकर चिरैयाकोट से चले थे। 04.15 बजे सुबह बेलईसा मण्डी पहुँचकर खरीदारी करने लगें पैसा ड्राईवर की देखरेख में गाड़ी के सीट के नीचे प्रतिदिन की तरह रखा जाता था जब मण्डी में जिसकों पैसा देना होता था उनको वही से दे दिया जाता था। इन्द्रजीत मेद्धशिया का ड्राईवर पीकअप को लाक करके शैलेन्द्र के साथ चाय पीने लगा। शैलेन्द्र का ड्राईवर दिनेश द्वारा इन्द्रजीत मद्धेशिया के पीकअप के बगल में ही अपनी गाड़ी को खड़ा किया गया था। जब पैसे देने के लिए इन्द्रजीत मद्धेशिया का ड्राईवर ओमप्रकाश अपनी पीकअप वाहन के सीट के नीचे देखा तो सारा पैसा गायब हो चुका था। वादी द्वारा संदेह होनें पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0-141/20 धारा 379/411 भा.द.वि. बनाम 1. शैलेन्द्र यादव पुत्र कैलाश यादव सा0 सराय मंदराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. अजीत यादव पुत्र सुक्खु यादव सा 0 ग्राम धनारबन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 3. सुनिल यादव उर्फ सोनू पुत्र श्रीराम यादव सा0 ग्राम मिट्ठनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री रामायण सिंह के निर्देशन में आज दिनांक-26.09.2020 को उ0नि0 श्री अनुपम जायसवाल मय हमराह पुलिस फोर्स के साथ कस्बा रानी की सराय मे अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत कर रहें थे कि जरिये मुखबिर खास सुचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 141/20 धारा 379/411 भादवि चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त व चोरी गये पैसे सहीत **बेलईसा चौराहे** के पास चाय की दुकान पर बैठे है यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सुचना पर विश्वास करके त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँच कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गये रुपये कुल 347000 रुपये (तीन लाख सैतालीस हजार रुपये) बरामद कर 03 नफर अभियुक्तो को समय लगभग 06.30 बजें सुबह को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 24.09.20 को प्रातः 04.15 बजे बेलईसा मण्डी मे अभियुक्त गण अपनी पीकअप वाहन संख्या यु0पी050 सीटी 1691 से आये इन्द्रजीत मध्देशिया के रखे हुये रुपये को तीनों अभियुक्तों ने मिलकर चुराया था। चुराये हुए रूपयें को क्रमशः शैलेन्द्र यादव के पास कुल एक लाख रुपये व अजीत यादव के पास कुल एक लाख सैतालीस हजार रुपये व सुनील यादव के पास कुल एक लाख रुपये रखे थे पूछताछ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तारी अभियुक्तो के अतिरिक्त सुनिल यादव उर्फ सोनू पुत्र श्रीराम यादव सा 0 ग्राम मिट्ठनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 141/20 धारा 379/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. शैलेन्द्र यादव पुत्र कैलाश यादव सा0 सराय मंदराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. अजीत यादव पुत्र सुक्खु यादव सा0 ग्राम धनारबन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. सुनिल यादव उर्फ सोनू पुत्र श्रीराम यादव सा0 ग्राम मिट्ठनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- 03 अभियुक्तो के कब्जे से नगद कुल रुपये 347000/- (तीन लाख सैतालीस हजार रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह थाना-रानी की सराय, आजमगढ़।

2- उ0नि0 सुल्तान सिंह थाना-रानी की सराय, आजमगढ़।